



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072021-228327
CG-DL-E-16072021-228327

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2642]
No. 2642]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 2021/आषाढ़ 25, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 2021/ASHADHA 25, 1943

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2021

का.आ. 2848(अ).—जबकि, केंद्र सरकार ने दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/जोन 'ओ' की क्षेत्रीय विकास योजना में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.09.2019 की सार्वजनिक सूचना सं. एस.ओ. 3169 (ई) के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अनुसार अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

3. जबकि, केंद्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021/जोन-ओ की क्षेत्रीय विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. इसलिए, अब, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है। ये संशोधन इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

संशोधन:

जोन-ओ में आने वाली भूमि के निम्नलिखित भू-क्षेत्र के उपयोग को परिवर्तित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

अवस्थिति	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (एमपीडी-2021)	जोन-'ओ' के जेडडीपी के अनुसार भूमि उपयोग	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के समीप फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट	26.0 हेक्टेयर (64.22 एकड़)	औद्योगिक (जोन-एम1 उपयोग)	औद्योगिक (जोन-एम1 उपयोग)	मनोरंजन (जोन पी2 उपयोग)	उत्तर: मौजूदा कार्ट-ट्रैक दक्षिण: जैतपुर नाला पूर्व: ऐश डायक क्षेत्र का पुश्ता (फेज-3) पश्चिम: जैतपुर से ऐश डायक क्षेत्र तक नाला (फेज-1)

[फा. सं. के-13011/2/2019-डीडी-1]

उपेंद्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2021

S.O. 2848(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 /Zonal Development Plan of Zone 'O' regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 3169(E) dated 03.09.2019 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections / suggestions have been received with regard to the proposed modification.

3. Whereas, the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021/ Zonal Development Plan of Zone-O.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

The land use of the following area of land falling in Zone-O is changed as per description listed below:

Location	Area in Ha.	Land use (MPD-2021)	Land use as per ZDP of Zone-'O'	Land use changed to	Boundaries
Fly Ash Brick Plant, near Badarpur Thermal Power Station	26.0 Ha (64.22 acres)	Industrial (Use zone-M1)	Industrial (Use zone-M1)	Recreational (Use Zone- P2)	North: existing cart-track South: Jaitpur drain East: Bund of Ash Dyke Area (Phase III) West: Drain from Jaitpur to Ash Dyke Area (Phase I)

[F. No.: K-13011/2/2019-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.